रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 208] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 1982/आषाढ़ 16, 1904

No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 1982/ASADHA 16, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

सा. का. नि. 488(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आकाशवाणी [वर्ग (1) और वर्ग (2) इंजीनियरी पद] भर्ती नियम, 1972 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन में सहायक इंजीनियर, समूह 'ख' राजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक इंजीनियर (आकाशवाणी और दूरदर्शन समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में और इन नियमों के परिशिष्ट 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह,

उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपाबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

[सं. 310/10/79-बी. (डी.)]

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
सहायक इंजीनियर	371* (1982) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : (क) 60% प्रोन्नति कोटा—इन नियमों के परिशिष्ट 1 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार चयन द्वारा (ख) 40% प्रोन्नति कोटा : इन नियमों के परिशिष्ट 2 और 3 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर चयन द्वारा टिप्पण :—ऐसे अधिकारियों को जो उपर्युक्त कोटों के अधीन	समूह "ख" वि० प्रा० स० 1. मुख्य इंजीनियर—अध्यक्ष 2. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी का एक इंजीनियर —सदस्य 3. दूरदर्शन या आकाशवाणी का निदेशक कार्मिक या निदेशक (ए और ए) —सदस्य 4. टिप्पण :—अध्यक्ष और सदस्य प्रमुख इंजीनियर आकाशवाणी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे	पद पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

8	9	10	11	12	13
			चयन किए जाते हैं, पारस्परिक ज्येष्ठता 40% प्रोन्नति कोटा में चयन किए गए अधिकारियों से प्रारम्भ करके 2 : 3 के अनुपात में रिक्तियों के चक्रानुक्रम के आधार पर नियत की जाएंगी।	अध्यक्ष या कम से कम एक सदस्य दूरदर्शन से होगा	

[सं० 310/10/79-बी० (डी०)]
सुरेश माथुर, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट 1

(नियम 1 और अनुसूची का स्तम्भ 11 देखें)

60 प्रतिशत कोटा में चयन द्वारा प्रोन्नति :—

(1) चयन द्वारा प्रोन्नति, अनुसूची के स्तम्भ 12 में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जाएगी । प्रोन्नति के लिए विचारार्थ पात्रता निम्नलिखित रूप में होगी :—

(क) (1) ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है ;

(2) ऊपर (1) के न हो सकने पर, ऐसे ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक, जिन्होंने ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक और इंजीनियरी सहायक की श्रेणियों में मिलाकर 8 वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत् इलैक्ट्रानिकी/दूर संचार इंजीनियरी में उपाधि या एक विशेष विषय के रूप में इलैक्ट्रानिकी सहित भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य ।

(2) प्रोन्नति के लिए पात्रता उस वर्ष की जनवरी को अवधारित की जाएगी जिस वर्ष वि. प्रो. स. की बैठक होती है ।

(3) प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची निम्नलिखित रूप में तैयार की जाएगी :—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को ही उसमें सम्मिलित किए गए अधिकारियों के सम्बन्ध में विद्यमान अखिल भारतीय ज्येष्ठता सूची, आधार होगी ।

(ख) उसके पश्चात् ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायकों की श्रेणी में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की बाबत, अधिकारियों के नाम, ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक की श्रेणी में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीखों के आधार पर जोड़े जाएंगे, किन्तु शर्त यह है कि उनके अपने-अपने क्षेत्रीय कॅडरों की उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बनी रहे । ऐसे अधिकारियों की दशा में जो विभिन्न क्षेत्रों में एक ही तारीख पर नियुक्त किए जाते हैं, इंजीनियरी सहायक की श्रेणी में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण किया जाएगा ।

परिशिष्ट 2

(नियम 3 और अनुसूची का स्तंभ 11 देखें)

40 प्रतिशत कोटा में विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति

(1) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो परिशिष्ट 3 में विहित मानक और पाठ्यक्रम के अनुसार विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तैयार की गई अखिल भारतीय सूची से प्रोन्नति अनुसूची में यथा उपबंधित, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जाएगी । परीक्षा सामान्यत: एक कलेण्डर वर्ष में एक बार ली जाएगी और किसी अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले अवसर 3 तक निर्बन्धित रहेंगे ।

(2) उक्त विभागीय अर्हता परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता निम्नलिखित रूप में होगी :—

(क) ऐसे ज्येष्ठ इंजीनिरी सहायक, जिन्होंने उस वर्ष की, जिसमें परीक्षा ली जाती है, 1 जनवरी को उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा या ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक और इंजीनियरी सहायक के रूप में 10 वर्ष की कुल नियमित सेवा पूरी कर ली है ; और

(ख) इंजीनियरी सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं या जिन्होंने सीधे भर्ती किए गए इंजीनियरी सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है ।

टिप्पण :—उपर्युक्त पात्रता मानक, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 5 वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किए जाएंगे ।

(3) ऐसे अभ्यर्थियों की, जो विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं सूची ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक की श्रेणी में उनकी ज्येष्ठता के आधार पर उसी रीति से तैयार की जाएगी जैसी रीति परिशिष्ट 1 के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट है । यह सूची, प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार के लिए पात्रता सूची के रूप में समझी जाएगी ।

(4) ऐसे अधिकारी जो पश्चात्वर्ती परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करते हैं, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए विचारार्थ पात्र अभ्यर्थियों की सूची के प्रयोजन के लिए उन अधिकारियों से कनिष्ठ प्रास्थिति में होंगे जो किसी पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं ।

टिप्पण :—इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक अपवाद के रूप में, आरम्भिक रूप में उद्भूत रिक्तियां विभागीय

अर्हता परीक्षा लिए बिना, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ऐसे ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायकों में से जो ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करते है, गुणागुण के आधार पर और परिशिष्ट 1 के पैरा 3 के उप पैरा (क) में, निर्दिष्ट अखिल भारतीय ज्येष्ठता सूची के आधार पर भरी जाएगी। रिक्तियों की संख्या उक्त तारीख से एक वर्ष के भीतर होने वाली अनुमानित रिक्तियों के आधार पर प्राक्कलित की जाएगी। प्रथम परीक्षा लिए जाने के पूर्व उस प्रकार प्रोन्नति अधिकारियों को बाद में विहित विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। वे अधिकारी जो तीन प्रयासों में अर्हता प्राप्त कर लेने में सफल नहीं होते है, आगे प्रोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

परिशिष्ट 3

अर्हक विभागीय परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम

1 विभागीय अर्हता परीक्षा के लिए विषय निम्नलिखित रूप में होंगे —

(1) साधारण मानक की प्रसाधारण इंजीनियरी पर एक प्रश्नपत्र 100 अंक

(क) ध्वनि प्रसारण, या

(ख) दूरदर्शन प्रसारण।

(2) विशेष विषय पर एक प्रश्नपत्र 100 अंक

(क) ध्वनि प्रेषित और एरियल, या

(ख) ध्वनि स्टूडियो आडियो, रिकार्डिंग, ग्राही केन्द्र और बाह्य प्रसारण, या

(ग) दूरदर्शन प्रेषित और एरियल, या

(घ) दूरदर्शन स्टूडियो वीडियो रिकार्डिंग, दूरदर्शन और बाह्य प्रसारण।

(3) साधारण विषयों पर एक प्रश्नपत्र 100 अंक

(क) सुरक्षा पूर्वाधानिया जिनके अन्तर्गत प्राथमिक उपचार भण्डार क्रय नियम आदि भी है, और अग्निशमन 50 अंक

(ख) शक्ति प्रदाय प्रणाली वातानुकूलन सवातन और डीजल जनरेटरों के सिद्धान्त।

टिप्पण —यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्नपत्र (1) (क) लेता है तो उसे प्रश्नपत्र (2) (क) या (2) (ख) लेना होगा यदि वह (1) (ख) लेता है तो उसे (2) (ग) या (2) (घ) लेना होगा। प्रश्नपत्र (3) अनिवार्य होगा।

2 प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक, साधारण अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत और अनसूचित जाति तथा अनसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिए 35 प्रतिशत होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 3 प्रश्न पत्रों के न्यूनतम अंकों का योग साधारण अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत और अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत होगा।

3 परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम वह होगा जो आकाशवाणी महानिदेशालय [कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)] समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi the 7th July, 1982

G.S.R. 488(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of All India Radio (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment Rules 1972, except as respects things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Engineers, Group 'B' Gazetted in Akashvani and Doordarshan under the Ministry of Information and Broadcasting, namely —

1 Short title and commencement—(1) These rules may be called the Assistant Engineers (Akashvani and Doordarshan Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1982

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 Number of posts classification and scale of pay—The number of posts its classification, and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules

3 Method of recruitment, age limit and other qualifications etc—The method of recruitment, age limit and other matters connected with the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule and Appendices I, II and III to these rules

4 Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

5 Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

6 Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Assistant Engineer	*371 (1982) *Subject to variation dependant on work-load	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs.650-30-740 35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probations, if any	Method of recruitments, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputationt/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Deparmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion : (a) 60% to the promotion quota—By Selection in accordance with provision laid down in Appendix I to these rules (b) 40% of the Promotion quota—By selection on the basis of Departmental Qualifying Examination conducted in accordance with provisions laid down in Appendix II and Appendix III to these rules NOTE : The inter-se-seniority of officers who are selected under the above quotas shall be fixed on the basis of rotation of vacancies in the ration of 2:3 starting with the officers selected against 40% promotion quota	Group 'B' Departmental Promotion Committee : 1. Chief Engineer —Chairman 2. An Engineer in Junior Administrative Grade —Member 3. Director Personnel or Director (A&F) in Doordarshan or Akashvani — Member NOTE: the Chariman and Members shall be nominated by the Engineer-in-Chief, Akashvani. The Chairman or at least one of the Members shall be from Doordarshan.	Consultation with the U.P.S.C. not necessary while making selection for appointment to the post.

[No. 310/10/79-B(D)]

SURESH MATHUR, Joint Secy.

APPENDIX I

(Rule 3 and column 11 of the Schedule)

Promotion by selection against 60 per cent quota :

(1) The promotion by selection shall be made by the Departmental Promotion Committee as provided in column 12 of the Schedule. The eligibility for consideration for promotion shall be as follows :

(a) (i) Senior Engineering Assistants with 3 years' regular service in the Grade ,

(ii) Failing (i), above, Senior Engineering Assistants with 8 years' regular service in the grade of Senior Engineering Assistant and Engineering Assistant combined together ; and

(b) Possessing Degree in Electrical/Electronics/Telecommunication Engineering or Master's Degree in Physics with Electronics as a special subject from a recognised University or equivalent.

(2) The eligibility for promotion shall be determined as on the 1st of January of the year in which the Departmental Promotion Committee meets.

(3) The eligibility list for promotion shall be prepared as under :—

(a) As on the date of commencement of these rules, the existing All-India seniority list would form the basis in relation to officers included therein.

(b) In respect of those appointed to the grade of Senior Engineering Assistants thereafter, the names of officers will be added on the basis of the dates of their regular appointment to the grade of Senior Engineering Assistant, subject to maintenance of their inter-se seniority in the respective regional cadres. In case of officers appointed in different regions on the same date, the date of their regular appointment to the grade of Engineering Assistant shall determine their inter-se-position.

APPENDIX II

(Rule 3 and column 11 of the Schedule)

Promotion on the basis of Departmental Qualifying Examination against 40 per cent quota :

(1) The promotion shall be made by Departmental Promotion Committee as provided in Column 12 of the Schedule, from All-India list prepared for the candidates who pass the Departmental Qualifying Examination in accordance with the standard and syllabus prescribed in Appendix III. The examination shall normally be held once in a calendar year and the maximum number of chances which could be availed of by a candidate shall be restricted to three.

(2) The eligibility for appearing in the said Departmental Qualifying Examination shall be as follows :—

(a) Senior Engineering Assistants who have completed five years of regular service in the grade or ten years of total regular service as Senior Engineering Assistant and Engineering Assistant, on the 1st of January of the year in which the examination is held ; and

(b) Possess qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Engineering Assistant or have Joined as direct recruit Engineering Assistant.

Note.—The above eligibility criteria shall be reviewed after a period of 5 years from the date of commencement of these rules.

(3) A list of candidates who pass the Departmental Qualifying Examination shall be made on the basis of their seniority in the grade of Senior Engineering Assistant in the same manner as specified in paragraph 3 of Appendix I. This list will be considered as eligibility list for consideration by the Departmental Promotion Committee for promotion.

(4) The officials who qualify in subsequent examinations would rank junior to the officials who have qualified in any earlier examination for the purpose of the list of eligible candidates for consideration for promotion by the Departmental Promotion Committee.

Note.—After the commencement of these rules, as a one time exception, the vacancies arising initially will be filled, without conducting the Departmental Qualifying Examination, on the basis of selection on merit by the Departmental Promotion Committee from the Senior Engineering Assistants who fulfil the conditions of eligibility for appearing in the examination mentioned in paragraph 2 and on the basis of All-India seniority list referred to in sub-paragraph (a) of paragraph 3 of Appendix I. The number of vacancies will be estimated on the basis of anticipated vacancies within one year from the said date. The officials so promoted prior to holding of the first examinations shall have to pass the prescribed Departmental Qualifying Examination subsequently. Those who fail to qualify in three attempts shall not be eligible for further promotion.

APPENDIX III

(Rule 3 and column 11 of the schedule)

Standar and Syllabus of Qualifying Department Examination

1. The subjects for the Departmental Qualifying Examination shall be as follows :—

(i) One paper on Broadcast Engineering of general standard in 100 marks.

(a) Sound Broadcasting, or

(b) Television Broadcasting.

(ii) One paper on specialised subjects—100 marks.

(a) Sound Transmitters and aerials, or

(b) Sound Studios, Audio Recording, Receiving Centres and outside Broadcasts, or

(c) Television Transmitters and aerials, or

(d) Television studios, Video Recordings, T.V. Receivers and outside Broadcasts.

(iii) One paper on general subjects—100 marks.

(a) Safety precautions including first aid, store purchase rules etc. and Fire Fighting—50 marks.

(b) Principles of Power Supply Systems, Airconditioning and Ventilation and Diesel Generators. —50 marks.

Note.—If a candidate takes paper (i)(a) he will have to take paper (ii)(a) or (ii)(b), if he takes (i)(b) then he will have to take (ii)(c) or (ii)(d). Paper (iii) will be compulsory.

2. The minimum pass marks for each paper shall be 40 per cent for general candidates and 35 per cent for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. For passing the examination, the minimum marks on aggregate of 3 papers shall be 50 per cent for general candidates and 45 per cent for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates.

3. The standard and syllabus of the examination shall be such as Directorate General, Staff Training Institute (Technical) of Akashvani may specify from time to time.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982